कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर (म.प्र.)

//ज्ञापन//

क्रमांक 2093/II-21-1/2025 छतरपुर, दिनांक 17/05/2025

प्रति,

आयुक्त,
जनसंपर्क शाखा संचालनालय,
विज्ञापन शाखा, बाणगंगा रोड,
भोपाल (म.प्र.)

विषय :– जिला मुख्यालय छतरपुर ग्रंथालय अनुभाग में स्टेशनरी सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित किए जाने बावत्।

–000–

उपरोक्त विषयांतर्गत जिला मुख्यालय छतरपुर ग्रंथालय/स्टेशनरी अनुभाग स्टेशनरी क्रय किए जाने के संबंध में निविदाये स्थानीय स्तर के समाचार पत्र दैनिक भास्कर आदि में प्रकाशित की जाने हेतु आपकी ओर प्रेषित कर लेख है कि, उक्त निविदा अतिशीघ्र प्रकाशित करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करे।

संलग्न :– निविदा आमंत्रण।

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
छतरपुर म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक 2094/II-21-1/2025 छतरपुर, दिनांक 17/05/2025

प्रतिलिपि यथा–आदेश :–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर उक्त निविदा मय शर्तो सहित वेबसाईट www.mphc.in पर अपलोड करवाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

2. जिला नाजिर, छतरपुर की ओर जिला मुख्यालय छतरपुर ग्रंथालय/स्टेशनरी अनुभाग में स्टेशनरी क्रय किए जाने के संबंध में निविदा शर्ते, फार्म एवं विज्ञापन की छायाप्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि, निविदा शर्ते, फार्म एवं विज्ञापन जिला मुख्यालय छतरपुर में कार्यालय नजारत अनुभाग, छतरपुरं के सूचना पटल पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– निविदा आमंत्रण एवं निविदा शर्ते।

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छतरपुर म0प्र0

कार्यालय— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर (म.प्र.)

//विज्ञप्ति//

सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि, जिला न्यायालय छतरपुर के ग्रंथालय/स्टेशनरी अनुभाग में स्टेशनरी कय किया जाना है।

अतः इस विज्ञप्ति की निविदा शर्तों के अधीन जो संस्था या व्यक्ति इस स्थापना पर स्टेशनरी सप्लाई किए जाने हेतु इच्छुक हो, वे कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर मे कार्यदिवस के दौरान उपस्थित होकर निविदाओं की आवश्यक शर्तों की जानकारी प्राप्त कर शर्तों के अनुसार निविदा दिनांक 14.06.2025 को सायं 5:00 बजे तक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर के कार्यालय में जमा कर सकते है, नियत समय अवधि उपरांत प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त स्टेशनरी सप्लाई हेतु प्राप्त निविदाओं को दिनांक 18.06.2025 को सायं 5:00 बजे निविदाकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि यदि उपस्थित हो तो के समक्ष खोला जावेगा।

इस हेतु विस्तृत विवरण कार्यालय से कार्यालयीन समय में एवं माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की वेबसाईट www.mphc.in पर भी देखा जा सकता है।

कृते—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छतरपुर म0प्र0

–:: सूची सामग्री ::–

क्रं0	लेखन सामग्री का नाम (आकार/वजन)	कंपनी का नाम	क्रं0	लेखन सामग्री का नाम (आकार/वजन)	कंपनी का नाम
1.	2.	3.	1.	2.	3.
01	जजमेंट पेपर, ए–4 साईज(90 जीएसएम)	जे.के.	42	बस्ते कपड़े44X 44 इंची	सुपर कॉटन
02	कार्बन पेपर ए–4 साईज	केमिल	43	सेलोटेप–सफेद/खाकी 2 इंची	
03	शार्ट हैंड बुक	200 पेज		सेलोटेप–सफेद/खाकी 1 इंची	
04	पेपर पिन प्लास्टिक डिब्बी 70 ग्राम	नाकोडा	45	स्टेपलर मशीन 24 गुणे 6 बडी	कंगारू/एच.डी
05	स्टाम्प पेड बडा लोहा/प्लास्टिक90X159 एम.एम.	मोहनी	46	स्टेपलर मशीन 10 नम्बर छोटी	कंगारू/एच.डी
06	स्टाम्पपेड–छोटे लोहा/प्लास्टिक 70X 111 एम.एम.	मोहनी	47	स्टेपलर पिन बडे 24 गुणे 6	
07	लैस ग्रीन 24 इंची	524 नं.	48	स्टेपलर पिन छोटे 10 नम्बर	
08	लैस सफेद एवं रंगीन 30 इंच	9 नं0	49	टी–पिन 70 ग्राम	
09	टैग लच्छीछोटी 8 इंच		50	कैंची बडी	
10	बी फाईल पैड कोना पट्‌टी		51	सुई–धागा	
11	गोंद टयूब 20 एम.एल.	फेवीकॉल	52	स्कबलिंग पेड	
12	लॉग नोटबुक रजिस्टर 17 X27.4	नार्वल	53	स्लिप पैड/नोटबुक 40 पेज	सूर्या/सेप
13	सादा रजिस्टर–छोटे/200 पेज		54	लिफाफा पीले–ए–3 (प्लास्टिक कोटेड)	
14	सादा रजिस्टर–बड़े/400 पेज		55	लिफाफा पीले–ए–4 (प्लास्टिक कोटेड)	
15	पेपर एफ.एस. (90जीएसएम) 2.18के.जी.	जे.के.	56	लिफाफा पीले–ए–5 (प्लास्टिक कोटेड)	
16	ए–4 फोटो कॉपी पेपर(80 जीएसएम) 2.18के.जी.	जे.के.	57	बटन वाले प्लास्टिक के लिफाफे	
17	कंप्यूटर पेपर 10X 12 पार्ट–2 साईज254.X		58	पेन स्टैण्ड प्रीमियम/पी.बी.सी.	2 पेन/4 पेन

	304.8 mm				
18	पेड इंक 50 एम.एल.	मोहनी /	59	सैलोटेप स्टैण्डमीडियम	
19	वाइटनर / करेक्शन फ्लूड 20 एम.एल	रेनाल्ड / केमल	60	टेबल ग्लास	5 X2 बडा
20	स्केल स्टील	सुपीरियर	61	टेबिल ग्लास	3X 2 कांच
21	खाकी पेपर–पेकिंग वाले एवं सादा 36 x 40 100 ग्राम	स्टार	62	पेपर कटर	नटराज
22	सीआर पेपर ए–4 साईज	(100 जीएसएम)	63	हाईलाईटर	कोरस / कैसल / लक्जर
23	सूजा–प्लास्टिक		64	फाइल कवर–मोटे ग्रीन 35X 40	
24	सूजा–स्टील		65	फोर फ्लैग डाक पेड	केनवास
25	सुपरमोमबत्ती 100 ग्राम		66	फ्लैग (स्टीकर) रंगीन कलर19एम.एम. 7X एम.एम.	सुपीरियर / राईटवन / बॉस
26	पेपर वेट सुपीरियर	पी.बी.सी.	67	प्रिंटर रिबिन डॉट मैटरिक्स	प्रोडॉट
27	गोंद की शीशी 300 एम.एल.	मोहनी / फैवीकॉल	68	केलकूलेटर बडा	ओरिबा / कल्सी केशियों
28	लिफाफे–सफेद बडे11X 5		69	टेबल टॉप फाईवर / लेदर	सुपर प्रीमियम
29	लिफाफे–सफेद छोटे 9X 4		70	फेविस्टिक 15 ग्राम / 25 ग्राम	
30	पेंसिल–काली	अप्सरा / नटराज / डॉम्स	71	आफिसर पेन जैल पेन	यूनिबॉल / रिनॉल्ड / जैलपेन / क्लासमेट
31	पेंसिल लाल–नीली	अप्सरा / नटराज / डॉम्स	72	आफीसर पेन डॉट पेन	
32	डॉट पेन / डिस्पोजल पेन– नीले / लाल / काले		73	प्लास्टिक डंडी फोल्डर डबल	
33	जैल पेन रिफिल नीली / लाल / काली		74	प्लास्टिक डंडी फोल्डर	
34	डॉट पेन रिफिल नीली / लाल / काली		75	पिन कुशन	सादा
35	पेपर क्लिप छोटे / बडे	स्टील ब्लैक	76	डायरी छोटी / बडी	सुपर क्वालिटी
36	परमानेंट मार्कर पेन–पतले	कैमिल / डॉम्स / हॉसर एक्स ओ	77	बॉटर पेड	गोल / चोकोर

37	परमानेंट मार्कर पेन–मोटे	कैमिल / डॉम्स / हॉसर एक्स ओ	78	पेपर पिन यू टाईप 50 ग्राम	जैम्स
38	स्केच पेन		79	आलपिन रखने की डिब्बी	
39	चपडा लाल	<u>नेशनल</u>	80	पेंसिल कटर	अप्सरा / नटराज
40	सुतली जूट		81	रबर नॉन डस्ट	डाम्स / अप्सरा
41	स्टील टेबिल घंटी	सादा	82	पंच मशीन एक छेट	कंगारू / कोरस

प्रभारी अधिकारी
संग्रहालय, छतरपुर (म.प्र.)

शर्तें

उक्त स्टेशनरी क्रय हेतु खुली निविदा के रूप में ई–टेंडरिंग प्रणाली अथवा जैम पोर्टल के माध्यम से निम्नं शर्तो के अधीन निविदाएं आमंत्रित किए जाने प्रस्तावित है :–

01. एक बंद लिफाफे से निविदा पूर्ण रूप से भरी हुई 10,000/–(दस हजार रूपये) की बैंक ग्यारंटी के साथ जो कि एफ.डी.आर. या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में होगी एवं 01 वर्ष की अवधि के लिए वैद्य हो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश छतरपुर में आवश्यक रूप से दिनांक 14.06.25. को सायं 5:00 बजे तक जमा हो जानी चाहिए, अपूर्ण/सशर्त/देरी से प्रस्तुत निविदा अथवा बिना बयाने की राशि के अथवा बिना किसी कर/लागत के समावेश की निविदाऐं निरस्त की जावेगी।

02. निविदाएँ दिनांक 18.06.25 को समय शायं 5:00 बजे जिला न्यायालय की क्रय समिति के अध्यक्ष के विश्राम कक्ष में उन सभी उपस्थित व्यक्तियों जिन्होंने निविदाएँ प्रस्तुत की है, अगर उपस्थित हो तो उनके समक्ष खोली जावेगी। निविदा की नियम, शर्तों एवं दरों में काटछांट, परिवर्तन या सुधार नही होने चाहिए, सभी प्रारूप/संलग्नक–1 हस्ताक्षरित होना चाहिए एवं उस पर संस्था की सील होनी चाहिए।

03. चुनी हुयी निविदाधारी संस्था द्वारा गुणवत्ता के अनुरूप सामान उपलब्ध कराया जावेगा। गुणवत्ता में कमी होने अथवा उपयुक्त न होने की स्थिति में स्वंय के व्यय पर संबंधित सामान वापिस कर उसके स्थान पर उपयुक्त सामान मांग के अनुरूप उपलब्ध कराना होगा।

04. संबंधित संस्था द्वारा स्वंय के व्यय पर सामग्री ग्रंथालय अनुभाग मुख्यालय छतरपुर तक स्वंय के साधन से पहुंचानी होगी साथ ही गुणवत्ता, मात्रा एवं गणना से संतुष्ट कराने के उपरांत ही संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति ग्रंथालय अनुभाग से प्राप्ति अभिस्वीकृति प्राप्त कर प्रस्थान करेंगे।

05. संबंधित संस्था द्वारा समय–समय पर उपलब्ध कराई गई सामग्री का बिल दो प्रति में जिसमें अधिकृत संस्था की सील, जी.एस.टी. नम्बर, अधिकृत स्वामी के हस्ताक्षर सहित अन्य विस्तृत विवरण देयक पर उपलब्ध रहेगा। सामग्री प्रदाय करने के तुरंत बाद भुगतान कार्यवाही हेतु अनुभाग में उपलब्ध करायेगे।

06. कार्यालय में आबंटन उपलब्ध होने की स्थिति में ही प्रस्तुत देयकों का भुगतान यथा समय किया जा सकेगा लेकिन आबंटन उपलब्ध न होने की स्थिति में भुगतान कार्यवाही हेतु आबंटन प्राप्त होने तक संबंधित संस्था को प्रतीक्षा करना बंधनकारी रहेगा।

07. वर्णित सामग्री के अलावा अन्य स्टेशनरी सामग्री मांग होने पर उन वस्तुओं को भी बाजार दर पर उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित संस्था का रहेगा।

08. क्रय की गई सामग्री पर नियमानुसार शासन द्वारा अधिरोपित समस्त प्रकार के कर अदायगी का दायित्व संबंधित संस्था का रहेगा।

09. संबंधित अनुबंध एवं उल्लेखित दरें अनुबंध दिनांक से कम से कम एक वर्ष के लिए बंधनकारी रहेगी। अनुबंध की शर्तो का बीच में उलंघन होने पर संबंधित जमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

10. अपरिहार्य स्थिति को छोडकर उक्त अनुबंध की शर्ते अनुबंधकर्ता पर पूर्णतः बंधनकारी होंगी।

11. सप्लाई की गई सामग्री की उच्च्य गुणवत्ता का ध्यान रखा जायेगा। संबंधित संस्था द्वारा कोई भी भृष्ट या कपटपूर्ण कार्य करने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और निष्पादन प्रतिभूति को जप्त किया जा सकेगा और उसे ब्लेकलिस्टेड किया जाकर उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

12. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश छतरपुर या संबंधित अनुबंधित संस्था एक माह पूर्व सूचना देकर अनुबंधों को समाप्त कर सकते है। यदि कोई भी पक्ष अनुबंध की शर्त का उल्लंघन करता है।

13. संबंधित संस्था या उसके किसी सदस्य के द्वारा जानबूझकर या अन्यथा सामग्री की गुणवत्ता में कोई गंभीर त्रुटि की जाने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उस पर पेनल्टी अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

14. यदि दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध को लेकर कोई विवाद होता है तो उसे बातचीत से सुलझाने का प्रयत्न किया जावेगा, परंतु बातचीत से कोई हल न निकल पाने की स्थिति में उसे एकमात्र मध्यस्थ (Sole Arbitrator) जो कि प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश, छतरपुर होगे के समक्ष रखा जायेगा और उनके द्वारा लिया गया अधिनिर्णय/निर्णय अंतिम होगा और दोनो पक्षों पर लागू होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही पंचाट और सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत की जावेगी।

ग्रंथालय, छतरपुर (म.प्र.)